कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
फोन : 0612–2521928 ईमेल : rd-bihar@esic.nic.in

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
जे. एल. नेहरू मार्ग, पटना – 800001
PANCHDEEP BHAWAN, REGIONAL OFFICE, BIHAR
J. L. NEHRU MARG, PATNA – 800001
वेबसाइट : www.esic.nic.in / www.esic.in

प्रेस विज्ञप्ति

ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत बीमित एवं उनके आश्रितों के आधार सीडिंग

पटना, 20/07/2023

क्षेत्रीय निदेशक श्री संजय कुमार ने दिनांक 20/07/2023 को पंचदीप भवन में ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहटा के डीन डॉ0 विनय कुमार विश्वास, उप निदेशक श्री मुकेश कुमार एवं ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज के अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित किया।

सर्वप्रथम नवनियुक्त क्षेत्रीय निदेशक श्री संजय कुमार का डीन के द्वारा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक में ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, बिहटा में बीमित एवं गैर–बीमित को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गयी। मरीजों को इलाज में हो रही कठिनाइयों पर भी चर्चा की गयी तथा उनके संभावित समाधान पर भी विचार–विमर्श किया गया। डीन डॉ0 विश्वास के द्वारा शाखा कार्यालय, कहलगांव में नवीनतम चिकित्सा इक्युपमेंट को स्थापित करने का सलाह दिया गया। इसके द्वारा ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, बिहटा के चिकित्सकों द्वारा ई–संजीवनी के माध्यम से कहलगांव शाखा कार्यालय में आनेवाले बीमित व्यक्तियों का इलाज उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

क्षेत्रीय निदेशक द्वारा बीमित व्यक्तियों को ऑनलाइन आधार सीडिंग की सुविधा के लिए ई.एस.आई.सी. चिकित्सा महाविद्यालय में बनाये गये कियोस्क के माध्यम से अधिक से अधिक बीमित व्यक्तियों के आधार सीडिंग का कार्य किये जाने हेतु कर्मचारियों की पदस्थापना एवं उनके प्रशिक्षण हेतु निर्देश दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा सभी बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितजनों के आधार सीडिंग का कार्य छह माह के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार क्षेत्र के तकरीबन 4.5 लाख बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिजनों के आधार सीडिंग का कार्य तय समय–सीमा के अंदर पूरा किये जाने का लक्ष्य दिया गया है। दूसरे प्रदेश में काम करनेवाले प्रवासी श्रमिक जो ई0 एस0 आई0 सी0 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उनके परिजन जो बिहार राज्य में निवास करते हैं, उनका भी आधार सीडिंग का कार्य जल्द से जल्द करने का कार्य किया जाना है। आधार सीडिंग का कार्य बीमित व्यक्ति द्वारा स्वयं या उनके नियोजक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई होने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति हुई।

क्षेत्रीय निदेशक